UPKS010008702026

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय –द्वितीय, कौशाम्बी।</u>
<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 176/2026</u>

श्रेजल उर्फ सूजल पुत्र कमलेश भारती निवासी ग्राम चकिया, थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज।
... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० सरकार
... अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं०– 326/2025
धारा 310(2), 317(3), 317(4) बी.एन.एस.
थाना – पिपरी,
जनपद कौशाम्बी।

<u>01–04–2026</u>

यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **श्रेजल उर्फ सूजल** द्वारा जरिये अधिवक्ता उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा /अमन कुमार पुत्र अशोक कुमार, ग्राम समसपुर, पोस्ट चरवा, तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी का मूल निवासी है। वह दिनांक 16.12.2025 को दिल्ली से ट्रेन से आया। प्रयागराज जक्शन वहां से आटो पकड़कर अपने घर समसपुर, थाना चरवा कौशाम्बी जा रहा था कि मनौरी ब्रिज के पास समय करीब 3.30 बजे सुबह कुछ लोग स्प्लेडर हीरो, रंग काला मोटरसाइकिल से सामने से आये और उसका बैग व मोबाइल रेडमी 8 डुवल जिसमें सिम जियो जिसका नम्बर 7498982890 तथा एक सिम एयरटेल जिसका मोबाइल नम्बर 7503968928 था, लूटकर भाग गये। मोटरसाइकिल का नम्बर का नम्बर याद नहीं है। बैग में कुछ कपड़े व ए.टी.एम. कार्ड तथा 3000/– रूपये नगद थे। इन्हीं आधारो पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

आवेदक /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वादी द्वारा घटना की सूचना अज्ञात लोगों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी के कब्जे से कोई वस्तु बरामद नहीं हुई बल्कि पुलिस द्वारा गलत बरामदगी दिखायी गयी है।

उपरोक्त मुकदमे में कोई भी स्वतंत्र साक्षी मौजूद नहीं है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। जमानत की शर्तो का अक्षरशः पालन करेगा। पुलिस द्वारा बरामदगी के समय विधि का पालन नहीं किया गया है। प्रार्थी सीधा साधा गरीब व्यक्ति है तथा उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ और उसके ऊपर आरोपित अपराध नहीं बन रहा है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क करते हुये अभियुक्त **श्रेजल उर्फ सूजल** पर तीन अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 16.12.2025 को 3.30 बजे सुबह, स्थान मनौरी ब्रिज के पास वादी मुकदमा अमन कुमार से मोबाइल रेडमी 8 डुवल सिम, ए.टी.एम. कार्ड व तीन हजार रूपये नगद इत्यादि की लूट /डकैती किये जाने का आरोप लगाया गया है। कथित अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुये आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना एवं जमानत प्रार्थना पत्र व अभियोजन की ओर से उपलब्ध कराये गये समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त पर अन्य तीन सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 16.12.2025 को 3.30 बजे सुबह, स्थान मनौरी ब्रिज के पास वादी मुकदमा अमन कुमार से मोबाइल रेडमी 8 डुवल सिम, ए.टी.एम. कार्ड व तीन हजार रूपये नगद इत्यादि की लूट /डकैती उस समय किये जाने का आरोप अभियोजन द्वारा दर्शाया गया है। जब वह दिल्ली से ट्रेन से प्रयागराज जंक्शन उतरकर आटो पकड़कर अपने घर समसपुर, थाना चरवा जा रहा था। प्रस्तुत केस डायरी के अनुसार अभियुक्त उपरोक्त को पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.12.2025 को डकैती में लूटे गये माल व रूपयो के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा दौरान गिरफ्तारी अभियुक्तगण के पास से प्रश्नगत मुकदमे की बरामदगी के अतिरिक्ति मु०अ०सं० 329/2025 अन्तर्गत धारा – 310(2), 317(3), 317(4) बी.एन.एस. थाना पिपरी, मु०अ०सं०– 331/2025, धारा– 310(2), 317(3), 317(4) व 109(1) बी.एन.एस. थाना पिपरी व मु०अ०सं० – 250/2025 अन्तर्गत धारा – 309(4) बी.एन.एस. थाना चरवा, कौशाम्बी के मामलों में लूटे गये माल की भी बरामदगी सुनिश्चित करते हुये तीन अदद मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 11 अदद मोबाइल फोन, 5200/– रूपये लूट के, एक अदद वीडियों कैमरा (सोनी व रंग काला) मय स्टैण्ड मय एसेसरीज मय दो अदद अवैध देशी तमंचा

315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस मय दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है जिससे प्रकट होता है कि अभियुक्त पर समान प्रकृति के कई मुकदमें विभिन्न थानों में दर्ज है। आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। मामला अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का है लूट चोरी जैसी घटनाएं कारित कर सकता है। यदि आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन करेंगे। मामले में सहअभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जमानत के स्तर पर अन्य जो भी तर्क आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये है, वह साक्ष्य का विषय है तथा जमानत के स्तर पर न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्कों में कोई बल नहीं पाती है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस, अपराध की प्रकृति, केस डायरी में संकलित साक्ष्य, अपराध के विषय में अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय की राय में मामले के गुण–दोष पर बिना विचार व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **श्रेजल उर्फ सूजल** की ओर से मु०अ०सं०–326/2025, धारा–310(2), 317(3), 317(4) बी.एन.एस., थाना पिपरी, जनपद कौशाम्बी के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–01.04.2026

(पूर्णिमा प्राँजल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय–II, कौशाम्बी।
आई.डी.नं०–यू०पी० 1839

Digitally signed by Purnima Sagar
Date: 2026.04.01 16:44:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court